कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 1677 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 27 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की ली (दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वन भूमि हे0 वन भूमि संबंधित लीज डीड निष्पादन कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भः– 1– उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का संख्या– 966/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 15 जून 2019
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेष लखनऊ का पत्रांक– 2194/11–सी लखन दिनांक– 16.06.2020

महोदय

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उप सचि उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 15.06.2019 में इंगित की गयी बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक–.1276/ रेनु /15.–31 दिनांक– 21.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मामले की आख्या संस्तुति सहित निम्नप्रकार प्रेषित किया है:

क्र0 सं0	उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 966/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 15 जून 2019 में अंकित बिन्दुओ का विवरण ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मूल शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराये एवं जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक–21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वन भूमि के लीज डीड की अवधि समाप्त हो चुकी है । पूर्व समय से लीज डीड सम्पन्न न होने के कारण वित्तीय हानि हो रही है । वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त की जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत अवधि के प्रार में देय स्टाम्प डयूटी के निर्धारन हेतु प्रभाग द्व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक आयु स्टाम्प सोनभद्र से अनुरोध किया गया था। सहाय महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टा सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 235 स0म0नि0–सोन0/2020 दिनांक– 13.10.20 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निम्न प्रकार अवगत करा गया है :– " पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदे प्रथम पक्ष व मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमि रेनुकूट के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 2009 से 20 , 10 वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षि किराया , 1,10,22,264.00 रू0 निर्धारित है त 12,24,69,600.00 रू0 का प्रिमियम निर्धारित कि गया है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची ख 'के अनुच्छेद–35 के अनुसार औसत वार्षि किराये के 04 गुने अर्थात 4,40,89,056.00 व प्रिमि की धनराशि 12,24,69,600.00 के योग पर प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का मूल्य 16,65,58,656.00 रू0 होता है । जिस पर प्रतिशत की दर से —

		रू0 66,62,347.00 का स्टाम्प शुल्क देय होगा उपरोक्त विलेख एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए है । अतः भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–17 के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है । रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प शुल्क देयता हेतु निर्धारित धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देय होगा साथ में यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नही होता है , बल्कि किसी भी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख की निष्पादन की तिथि को या उसके पूर्व अदा करना होता है, वर्तमान में विलेख निष्पादित करते समय ई–स्टाम्प या नान ज्यूडिसियल फिजिकील स्टाम्प लेकर विलेख को निष्पादित कर पंजीकृत कराया जा सकता है" ।

अतः प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से उ0प्र0, शासन को अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 1677 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर